न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर

पीठासीन अधिकारी, शैतान सिंह राजपुरोहित R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 58/2019

वादीगण :–

1. जगदीश पुत्र भाकरराम
2. श्यामलाल पुत्र भाकरराम
3. ओमप्रकाश पुत्र भाकरराम

जातियान विश्नोई निवासीगण ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

4. सुशीला पुत्र भाकरराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी हाल निवासी ग्राम बोयल तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. भाकरराम पुत्र रूपाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम सती दादी का थान के पास ग्राम तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।
2. तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री अब्दुल सलीम खान वादीगण की ओर से
श्री संग्राम सिंह चौहान प्रतिवादी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 26.11.2019

वादीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. एक की संयुक्त परिवार की पुश्तैनी सहदायगी संयुक्त हिन्दु परिवार की कृषि भूमि ग्राम/कस्बा बोयल की राजस्व सीमा में आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में खाता सं. 504 व पुराना 411 में खसरा नम्बर 1515 रकबा 2.4432 हैक्टयर खसरा नम्बर 1517 रकबा 1.3105 खसरा नम्बर 1518/1 रकबा 1.8445, खसरा नम्बर 1519 रकबा 2.4594 खसरा नम्बर 1520 रकबा 2.4917 खसरा नम्बर 1521 रकबा 2.3946 कुल खसरा 06 रकबा 12.0140 हैक्टयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है । जो प्रतिवादी सं. एक के नाम से राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार दर्ज है तथा ग्राम तिलवासनी की सरहद में खाता सं. 622 व पुराना 469 के अनुसार खसरा नम्बर 01 रकबा 1.3510 खसरा नम्बर 2 रकबा 2.1924 किस्म बारानी द्वितीय खसरा नम्बर 03 रकबा 5.0886 किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 03 रकबा 8.6320 हैक्टयर सहखातेदारी की उक्त तिलवासनी के तीनो खसरो में प्रतिवादी सं. एक के नाम से दर्जसुदा आई हुई है जिसे इस वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा । वादीगण एवं प्रतिवादी सं एक के साथ वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

से कब्जा काश्त होकर संयुक्त परिवार के साथ कृषि कार्य करता आ रहे है व आज भी लगातार बेराक–टोक वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है लेकिन पिछले कुछ वर्षो से वादीगण ने अपने पिता प्रतिवादी सं. एक से अलग निवास करना शुरू कर दिया है लेकिन संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पूर्ण चल अचल सम्पति का बंटवाड़ा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. एक के मध्य नही हुआ है वादीगण को पुश्तैनी सम्पति मेसे बंटवाड़ा करके कोई चल अचल सम्पति का बंटवाडा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. एक के मध्य नही हुआ है वादीगण को पुश्तैनी सम्पति में से बंटवाड़ा करके कोई चल अचल सम्पति अपने पिता भाकरराम से व दादा रूपाराम जी से बंटवाडे के रूप में विरासती सम्पति प्राप्त नही हुई है। वादीगण जो कि अपने माता–पिता से अलग निवास करने लग गये है तथा अपना जीवन यापन भी अपनी आय से करता आ रहे हैं ऐसे में वादीगण को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूर एवं कृषक व्यक्ति होने के कारण पुश्तैनी कृषि भूमि पर कृषि कार्य करके भी जीवन यापन करना पडता है इसलिए वादीगण अपनी पुश्तैनी सम्पूर्ण सम्पतियो व वादग्रस्त कृषि भूमि में राजस्व रेकर्ड में अपना नाम व हक हिस्सा दर्ज नही होने के कारण सरकारी योजनाओ का पूरा लाभ नही मिलता है, वादीगण सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ से वंचित रह जाते है इसलिए वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना आवश्यक है ताकि वादीगण सरकारी योजनाओ का पूरा लाभ उठा सके तथा अपने नाम दर्ज होने पर सभी दस्तावेजी कार्यवाही सुगमता पूर्वक कर सके । वादीगण का प्रतिवादी सं. एके के साथ–साथ अपने जन्म के साथ ही वादग्रस्त आराजी में अपना हक व हिस्सा कानूनी तौर पे हिन्दु विधि के अनुसार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये थे लेकिन वादीगण बालिक होने के पश्चात् उनका नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नही हुआ हैं इसलिए वादीगण का नाम वादग्रस्त आराजी मे माफिक हक हिस्सा दर्ज किया जाना आवश्यक है । वादीगण ने वादग्रस्त आराजी में से अपने पिता भाकरराम के खातेदारी एवं सहखातेदारी की पुश्तैनी सहदायिकी संयुक्त हिन्दु परिवार की सम्पति वादग्रस्त आराजी जो कि वादीगण के पिता को वादी के दादा से विरासत में प्राप्त हुई में से अपना हक व हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया जिस हेतु वादीगण ने प्रतिवादी सं. एक व दो से सम्पर्क कर दिनांक 11.06.2019 को

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त आराजी में से रकबे के अनुसार हिन्दु विधि के अनुसार उक्त खसरे में से जो हक हिस्सा बंट वादीगण का बनता हैं उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दे लेकिन प्रतिवादीगण ने न्यायालय के आदेश बगैर स्वयं राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने व करवाने की अक्षमता जाहिर की ऐसी स्थिति में वादीगण के पास श्रीमान न्यायालय के समक्ष वादीगण का यह वाद वास्त वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा का पेश करना पड़ रहा है । वादीगण जो कि प्रतिवादी सं. एक की जायंदा संतान है इस कारण वादीगण का वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. एक के साथ–साथ उनके समान ही ग्राम बोयल की वादग्रस्त आराजी के खसरान में प्रतिवादी सं. एक के साथ–साथ प्रत्येक वादीगण का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 वां हिस्सा बनता है तथा ग्राम तिलवासनी की वादग्रस्त आराजी में वादीगण का प्रतिवादी सं. एक के साथ 1/10, 1/10, 1/10, 1/10 वां हिस्सा बनता है क्योकि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. एक दोनो ही हिन्दू विधि की मिताक्षरा शाखा से शासित होते है उनके अनुसार उपरोक्त वर्णित अनुसार वादीगण का प्रतिवादी सं. एक के साथ उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी सं. एक जो वादीगण के पिता है के नाम से दर्ज वादग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. एक का प्रत्येक सभी का 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 वां हिस्सा बनता है प्रतिवादी सं. एक अकेले ही सरकारी योजनाओ का लाभ प्राप्त कर रहा है तथा बाले–बाले तरीके से वादग्रस्त आराजी को बेचान भी कर सकता जिससे वादीगण अपने हक हिस्से व अधिकार सुदा वादग्रस्त आराजी से वंचित रह जायेंगे इसलिए यह वाद पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पड़ रहा है । दिनांक 11.06.2019 को वादी द्वारा प्रतिवादी सं. एक को वादग्रस्त आराजी का सहखातेदार बनाने के निवेदन के बावजूद सहखातेदार नही बनाने व वादीगण को वादग्रस्त आराजी से प्राप्त होने वाले निहीत सभी अधिकारो से वंचित कर देने की धमकियां के कारण वाद कारण ग्राम बोयल में उसी दिन पैदा हुआ जिस पर वादीगण ने वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड हल्का पटवारी से प्राप्त कर यह वाद प्रस्तुत किया है । इस्तदुआ वादी इस प्रकार से है कि :– वादीगण की ओर से वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण सं. एक के विरूद्ध डिक्री इस आशय की फरमाई जावे कि वादग्रस्त आराजी ग्राम बोयल के

Scanned by CamScanner

खाता सं. 504 के खसरा नम्बर 1515, 1517, 1518/1, 1519, 1520, 1521, कुल खसरा 6 रकबा 12.9440 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम में वादीगण के सहखातेदारी अधिकार प्रतिवादी सं. एक के साथ प्रत्येक वादीगण को 1/5, 1/5, 1/5, 1/5 वां हिस्सा तथा ग्राम तिलवासनी की सरहद में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 01, 02, 03 कुल खसरा 03 रकबा 8.6320 हैक्टयर किस्म बारानी द्वितीय व तृतीय में वादीगण का सहखातेदारी अधिकार प्रतिवादी सं. एक के साथ प्रत्येक का 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, वां हिस्सा घोषित कर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम माफिक घोषणा हक हिस्से दर्ज किये जाने सादर आदेश फरमावें ।

वादीगण के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणो को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादी सं. एक की ओर से वकील संग्रामसिंह चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं. एक को कोई आपत्ति नही है ।

बहस वकुलाय सुनी गयी । बहस पर मनन किया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किये जाने पर पाया कि वादग्रस्त आराजी बैंक में रहन होने के कारण वादी का वाद खारिज किया जाता है ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (**SDO**)
पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 26.11.2019 को कोर्ट में लिखवाया जाकर सुनाया गया । फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

(शैतानसिंह राजपुरोहित)
सहायक कलेक्टर (**SDO**)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner